

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 02 October 2026

कर्नल सोफिया कुरैशी मामले मे विजय शाह पर गिरी सुप्रीम कोर्ट की गाज, तीन IPS अफसर करेंगे जांच ।

Publisher

Published on 20 May 2025



विजय शाह की मुश्किले बंदीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी SIT, तीन IPS अफसर करेंगे जांच ।

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह पर भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी अब भारी पड़ती नजर आ रही है । सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) को विशेष जांच दल (SIT) बनाने का आदेश दिया है ।

कौन हैं वो तीन अफसर जो करेंगे जांच ?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित SIT में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है:

१. प्रमोद वर्मा – पुलिस महानिरीक्षक, सागर ज़ोन
२. कल्याण चक्रवर्ती – उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, भोपाल
३. वाहिनी सिंह – पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डोरी (एकमात्र महिला सदस्य)

वाहिनी सिंह की मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के अनुसार है जिसमें कहा गया था कि जांच दल में एक महिला अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य है ।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विजय शाह के व्यवहार पर नाराज़गी जताई । कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा: "हमें ऐसी माफी

नहीं चाहिए, आप पहले घटिया भाषा बोलते हैं और फिर कोर्ट में माफ़ी मांगते हैं। एक जिम्मेदार मंत्री को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता।”

हालांकि विजय शाह के वकील ने कहा कि वह वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक माफ़ी पहले ही मांग चुके हैं।

क्या है पूरा मामला ?

मध्य प्रदेश के मंत्री **विजय शाह** ने एक जनसभा में भारतीय सेना की **अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी** को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कर्नल कुरैशी को “**आतंकवादियों की बहन**” कहा था, जिससे पूरे देश में नाराजगी फैल गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए **28 मई 2025** तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.